लोक प्रशासन 2021 के विशेषांक के विषय की पृष्ठभूमि पर लघु लेख

संपादक
प्रो0 एस0 एन0 मिश्रा

सह–संपादक
डा0 साकेत बिहारी

विशेषांक–शिक्षा व्यवस्था में सुधारःराष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में

वर्ष–13, अंक–2, जुलाई–दिसम्बर–2021

सामान्यतः राष्ट्र की दशा व दिशा को निर्धारित करने का श्रेय शिक्षा को जाता है। शिक्षा विकास के पहल की नींव तो अभिसिंचित करती ही है, साथ ही साथ सामाजिक समरसता व संवैधानिक मूल्यों के अनुप्रयोगों के साथ जीना भी सिखाती है। जनाधिक्य, उदारीकरण द्वारा संपोषित विकास, प्रतीकात्मक अंतः क्रियावाद द्वारा बुनियादी सामाजिक आवश्यकताओं में परिवर्तन एवं प्रवजन ने शिक्षा के पूर्व स्वरूप को पुर्न परिभाषित करने का यथोचित प्रयास किया है। उत्तरोत्तर भूस्वामियों के भू–खंडों का बंटता हुआ क्षेत्र, अनौपचारिक क्षेत्रों में बढ़ते हुए रोजगार के अवसर एवं उद्यमिता की उत्तरोत्तर वृद्धिपरक प्रासंगिकता पुरानी शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित कर रहे थे। अस्तु, नई शिक्षा नीति कौशल के अवलंबन को स्वालंबन में बदलने का अभूतपूर्व प्रयास है जो कि 'आत्मनिर्भर भारत' की संकल्पना को सुनिश्चित करेगा।

शिक्षा व्यवस्था का नवीन परिदृश्य में अनुकूलन के लिए लोक–प्रशासन के योगदान व भूमिका को मिथक नहीं माना जा सकता। प्रयोगिक लोक प्रशासन का यह आधारभूत कर्त्तव्य है कि वह नीतिगत मसलों में बदलाव के लिए लोकशाही का मार्ग दर्शन करें। व्यक्ति का समष्टि से, अभिकरण का संरचना से एवं प्रकृति का संस्कृति से उद्देश्यपरक लक्ष्यों में सहयोग कर राष्ट्र निर्माण को अभिप्रेरित करे। अतः संम्प्रति के आवश्यकताओं व अनिवार्यताओं को ध्यान में रखते हुए नवीन शिक्षा नीति–2020 का सूत्रपात किया गया है। शिक्षा नीति विदेश नीति की तरह राष्ट्र की नीति एवं नियति होती है सरकार की नहीं। सरकार अवश्य एक उत्प्रेरक (कैटालिस्ट) की भूमिका एवं सूत्रधार का कार्य करती है। विदित हो कि कालांतर में भी शिक्षा नीतियों का निर्माण, सामाजिक मूल्यों, विश्वासों, आर्थिक अनिवार्यताओं व राष्ट्र निर्माण के परियोजना को अर्थपूर्ण बनाने के लिए किया गया था। वस्तुतः राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ शिक्षा व्यवस्था में मूल्य परक सुधार हेतु न केवल प्रेरक है, अपितु सार्थक भी साबित हुई हैं ।

अद्यतन में, नई शिक्षा नीति 2020, राष्ट्र निर्माण में अद्वितीय भूमिका निर्वहन हेतु अभिप्रेरति व अभिसिंचित है। इसके अन्तर्गत स्कूली शिक्षा में शत् प्रतिशत सकल पंजीकरण दर निर्धरित करने का

लक्ष्त्योरोप्ति है। विद्यालयी शिक्षा की नई पाठ्य संरचना (5+3+3+4), आंगनवाड़ी में तीन साल, प्री–स्कूल और स्कूल में 12 वर्ष का प्रावधान है। इस प्रकार, नई शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत 2030 तक शैक्षिक प्रणाली को निश्चित किया जाना था जो कि पहले से चल रही 10+2 के मॉडल के स्थान पर पाठ्यक्रम में 5+3+3+4 की शैक्षिक प्रणाली को अर्न्तनिष्ट करता है। इस बुनियादी बदलाव के माध्यम से शिक्षा को डिजिटल करने का लक्ष्य है। क्षेत्रीय भाषाओं के विकास को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक सामग्रियों का अनुवाद किया जाना भी लक्षित है। छठी कक्षा से ही बच्चों को व्यावसायिक परीक्षण इन्टर्नशिप दिया जाना है। अब दसवीं कक्षा से ही पाठ्यक्रम का चुनाव शिक्षार्थी कर सकेगें। कूटीकरण की भाषा का ज्ञान छठी कक्षा से ही छात्र को दिया जाएगा। शैक्षिक क्षेत्र में कल्पित प्रयोगशालाओं का निर्माण भी यथोचित माना गया है। यह शैक्षिक नीति व प्रावधानों को लचीला भी बनाए रखेगा। नाना प्रकार के विषयों से जुड़ने का अधिकार छात्रों को प्राप्त होगा। शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए, अभिलक्षणता (मेरिट) को प्राथमिकता देना भी सुनिश्चित है। नई शिक्षा नीति में चार आधार स्तम्भ (वर्टिकल) दिए गए हैं यथा, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा विनियामक परिषद्, उच्च शिक्षा परिषद्, सामान्य शिक्षा परिषद् तथा राष्ट्रीय मानक परिषद्। ई–शिक्षण पर जोर देकर बोझयुक्त शिक्षण सामग्री से छात्रों को मुक्त करना भी नई शिक्षा नीति की भौतिक प्रसांगिकताओं में से एक है। इसमें राज्य तथा केन्द्र सरकारों को सकल घरेलू उत्पाद का छः प्रतिशत निवेश करना भी निर्धारित है।

नई शिक्षा नीति के माध्यम से नई ए0बी0सी0 अर्थात् अकैडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का गठन किया जाएगा जिसमें छात्रों द्वारा परीक्षा में प्राप्त किए गए अंको द्वारा डिजिटल अकैडमी क्रेडिट निर्माण होगा और विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों के द्वारा संग्रहित अंकों को छात्र अंतिम वर्ष की डिग्री में प्राप्त कर सकेंगे। यद्यपि शिक्षा को कौशल से युक्त करना नई शिक्षा नीति में आरोपित है, तथापि शिक्षा की श्रेष्ठता स्थापित तभी हो पाएगी जब यह अपने मूल मंत्र–"सा विद्या, या विमुक्तये" को संपुष्ट करेगा।

इस पृष्ठभूमि में, विद्वानों से अपेक्षा है कि वह अपने संबंधित विषयों पर अपने शोध पत्र भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को प्रेषित करें:–

प्रमुख बिन्दुः

1. नई शिक्षा नीतिः शिक्षा एवं शिक्षण व्यवस्था में सार्थक सुधार का सूत्रधार
2. नई शिक्षा नीति के प्रमुख मुददे्
3. नई शिक्षा नीति और कौशल का महत्व
4. नई शिक्षा नीति और वर्चुअल लैब

5. राज्य और केन्द्र सरकार के छः प्रतिशत निवेशः संभावनाएँ एवं चुनौतियाँ
6. नई शिक्षा नीति की अद्यतन संरचना की विशेषताएँ
7. अकेडिमिक क्रेडिट बैंक का गठन और बहुआयामी शिाक्षा नीति का महत्व
8. डिजिटलीकरण द्वारा शिक्षा व्यवस्था में संभावित सुधार

लेखकों से निवेदन है कि उपरोक्त या अन्य संबंधित मुद्दों पर अपना लेख 30 मार्च 2021 तक 3000 से 5000 शब्द सीमा के अंतर्गत निम्नलिखित e-mail पर भेज दें क्योंकि यह लेख अवलोकनार्थ समीक्षकों के पास भेजें जायेंगे।

email: lokprashasan2008@gmail.com

पताः
सम्पादक (लोकप्रशासन)
भारतीय लोक प्रशासन संस्थान
इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, रिंग रोड,
नई दिल्ली–10002